



2026:AHC:68063

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 6411 वर्ष 2026

अली मोहम्मद और 3 अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मुकुल यादव, राजेश यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदकों के लिए अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन को धारा 452, 323, 504, 506, 324, 325 भ०द०वि०, थाना-गंज, जिला- रामपुर के तहत केस अपराध संख्या-121 वर्ष 2023 से उत्पन्न केस संख्या-362 वर्ष 2023(राज्य बनाम अली मोहम्मद और अन्य) की पूरी कार्यवाही के साथ-साथ 17.05.2023 के आरोप पत्र और 31.10.2023 के संज्ञान/समन आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदकों को प्रस्तुत मामले में प्रतिपक्षी संख्या- 2 द्वारा केवल उन्हें परेशान करने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि उनके द्वारा कथित रूप से कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि दिनांक 07.05.2023 को एक झूठी और मनगढ़ंत चोट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें साधारण चोटें पाई गई थीं और धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज सूचनाकर्ता और घायल के बयान भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं। आवेदकों के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना के साथ उनकी पुष्टि करने के लिए आवेदकों के खिलाफ शायद ही कोई सबूत है। आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष जांच किए बिना, संबंधित विवेचनाधिकारी ने आवेदकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग किए बिना, संबंधित अदालत ने उक्त आरोप पत्र पर अपराध का संज्ञान लिया जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस तरह, इसे रद्द किया जा सकता है।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन में की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि आवेदकों की ओर से उठाए जाने वाले विवादों को तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित किया जाएगा, और इसमें साक्ष्य की मूल्यांकन शामिल होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संज्ञान लेते समय, केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहिए और संबंधित न्यायालय से लघु विचारण आयोजित करने की उम्मीद नहीं की जाती है।

5. पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि संज्ञान/सम्मन लेने के चरण में, मजिस्ट्रेट को केवल अभिलेखों पर सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया राय दर्ज करने की आवश्यकता होती है, और उससे लघु विचारण करने या अभियुक्त के बचाव की जांच करने की उम्मीद नहीं की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एसडब्ल्यू पलानिटकर और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; (2002) 1 एस.सी.सी. 241** के मामले में दिए गए फैसले में, यह माना गया था कि जिस परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता थी, वह यह थी कि क्या "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" है और क्या "दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार" है। **नूपुर तलवार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2012) 11 एस.सी.सी. 465** के मामले में, यह दोहराया गया था कि जारी करने की प्रक्रिया के चरण में सामग्री पर विचार करने का सीमित उद्देश्य परीक्षण के दौरान उत्पादित वास्तविक साक्ष्य से अलग होने के नाते, चरण में लागू किया जाने वाला परीक्षण यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई सामग्री "आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त" थी और "अपराध को साबित करने और स्थापित करने के लिए पर्याप्त" नहीं थी। संज्ञान लेने के चरण में, एक अदालत का प्राथमिक ध्यान यह निर्धारित करना है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, जिसका अर्थ है कि क्या यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अपराध किया गया है, न कि मामले या सबूत के गुणों में तल्लीन करने के लिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अनुच्छेद 227 संख्या-3254 वर्ष 2024 (कैलाश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के तहत मामलों में पारित दिनांक 6.5.2024 के निर्णय में इस न्यायालय के हाल के निर्णय में उपरोक्त कानूनी स्थिति पर भी विचार किया गया है।

7. प्राथमिकी में किए गए कथन, आरोप पत्र, जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान और मामले के तथ्यों को देखने के रूप में अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से, इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है। बार में की गई सभी प्रस्तुतियां, तथ्य के विवादित प्रश्न से संबंधित हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

8. उपरोक्त कारणों से, प्रस्तुत आवेदन योग्यता से रहित है और इसलिए, इसे **खारिज** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

सैफ

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)